

आदेश की
क्रमांक एवं
तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर :
गई कार्यवाही

1

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या- 01/2021-22

अशोक दास

-बनाम-

राज्य सरकार वगै0

अपीलार्थी :- (1). अशोक दास, पिता-स्व0 हरेन्द्र दास,
सा0-जलालपुर, थाना-बरहरवा,
साहेबगंज।

उत्तरवादी :- (1). राज्य सरकार।
(2). निमाई दास, पिता-देवन दास,
(3). प्रदीप दास, पिता-टेनु दास, दोनों
सा0-जलाजपुर, थाना-बरहरवा,
जिला-साहेबगंज।

—: आदेश :—

03.03.2023

प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल के न्यायालय अन्तर्गत आर0ई0 वाद संख्या 42/2018-19 में दिनांक 28.01.2021 को पारित आदेश जो अंचल बरहरवा के मौजा-श्यामजोत, जमाबंदी नं0-60, दाग नं0-107 रकवा 00-03-00 धूर तथा दाग नं0-108 का रकवा 00-09-14 धूर जमीन से संबंधित है, के विरुद्ध अपील दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता उपस्थित।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौजा-श्यामजोत, जमाबंदी नं0-60, दाग नं0-107 रकवा 00-03-00 धूर तथा दाग नं0-108 का रकवा 00-09-14 धूर कुल रकवा 00-12-14 धूर जमीन अपीलार्थी के नाम से मौजा के पंजी-II में अंकित है एवं लगान का भी भुगतान किया जा रहा है तथा उनके दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि निष्पादित बंटननामा के माध्यम से प्राप्त किया गया है। प्रतिवादी के द्वारा जबरन जामून व नीम के पेड़ों को काट दिया और घर बनाये जाने हेतु जमीन खोदना शुरू किया। लिखित शिकायत के आधार पर अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा निर्माण नहीं किये जाने का निदेश दिया लेकिन जबरन कब्जा करते हुए अवैध रूप से निर्माण शुरू कर दिया गया। प्रतिवादी के द्वारा आर0ई0 वाद अन्तर्गत यह बताया गया कि उनके पूर्वज अपंजीकृत डीड 1945 में जमाबंदी रैयत योगेन्द्र नाथ नंदी से प्राप्त किये एवं तब से रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विचाराधीन भूमि पर घर बनाने की अनुमति दी गयी है और अपीलकर्ता मनगढ़ंत बंटननामा के आधार पर परेशान कर रहे हैं। दाखिल दस्तावेज के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा व्यथित एवं असंतुष्ट होकर मामले को स्थगित किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी अन्तर्गत पारित आदेश एवं उभय पक्षों को सुने जाने के उपरांत अपेक्षित आदेश को अपास्त करने तथा

प्रतिवादी को कोई निर्माण न करने का निदेश दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप सच्चाई से परे है। प्रश्नगत भूमि अन्तर्गत अपीलार्थी और उसके चाचा बंटननामा के आधार पर दखलकार है परन्तु इस वाद में उनके चाचा (भुपेन्द्रनाथ राम) अपीलार्थी के किस दाग नंबर की कितनी-कितनी भूमि पर प्रतिवादीगण दखल किये है का उल्लेख नहीं है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अन्तर्गत भी दाखिल दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। प्रतिवादी के पिता-स्व० देवेन्द्र नाथ दास ने खतियानी रैयत योगेन्द्र नाथ नंदी से 00-03-00 धूर जमीन अनिवंधित विक्रीनामा से वर्ष 1945 में खरीदे थे और घर बनाकर निवास कर रहे हैं, जो परिवार सहित आज भी रह रहे हैं। मौजा-श्यामजोत एवं मौजा-जलालपुर के सीमाना पर अवस्थित है जो बंटननामा के आधार पर मामला दायर किये है।

00-03-00 धूर भूमि नामांतरण वाद संख्या 2156/2009-10 के द्वारा दाखिल-खारिज किया गया है एवं लगान रसीद भी प्राप्त कर रहे हैं। दाग नं०-107 की भूमि का शांतिपूर्ण दखल है तथा दखल से संबंधित कागजात भी उपलब्ध है।

विज्ञ अधिवक्ता द्वारा विपक्षीगण के कारणपृच्छा को स्वीकार करते हुये कार्यवाही समाप्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

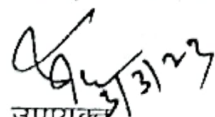
अभिलेख में संलग्न कागजात, निम्न न्यायालयीय अभिलेख, अंचल अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन के आलोक में न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है कि:-

1. मौजा-श्यामजोत, जमाबंदी नं०-60, दाग नं०-107 रकवा 00-03-00 धूर तथा दाग नं०-108 का रकवा 00-09-14 धूर जमीन योगेन्द्र नाथ नंदी के नाम से खतियान में दर्ज है।
2. मौजा-श्यामजोत, जमाबंदी नं०-60, दाग नं०-107 रकवा 00-03-00 धूर तथा दाग नं०-108 का रकवा 00-09-14 धूर जमीन अशोक दास के नाम से पंजी-11 में दर्ज है, जो केवाला संख्या 3598 दिनांक 09.09.2019 के आधार पर प्राप्त किये हैं।
3. विपक्षी संख्या 01 निताई दास जमाबंदी नं०-60, दाग नं०-107 रकवा 00-03-00 धूर जमीन का लगान रसीद 2010-11 तक निर्गत है लेकिन पंजी-11 में दर्ज नहीं है।
4. विवादित भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जाना जो अंचल अधिकारी स्थगित किया गया है।
5. उत्तरवादीगण का विवादित भूमि पर 1945 से अवस्थित होना।

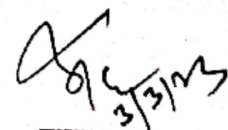
अतएव उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा आर०ई० वाद सं०- 42/2018-19, दिनांक- 28.01.2021 को पारित आदेश को Set-a-side करते हुए पुनर्विचारण हेतु अभिलेख वापस किया जाता है।

आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल एवं अंचल अधिकारी, बरहरवा को भेजें। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त
साहेबगंज।



उपायुक्त
साहेबगंज।

ज्ञापांक 570/डी0बी0, साहेबगंज, दिनांक 18-12-23

प्रतिलिपि:- अशोक दास, पिता- स्व0 हरेन्द्र दास को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निमाई दास, पिता- देवन दास, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि:- प्रदीप दास, पिता- टेनु दास को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
साहेबगंज।